लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2830

दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

महिला बुनकर

2830. **डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजमः**

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को मणिपुर राज्य में महिला बुनकरों की बड़ी संख्या की जानकारी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में महिला बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष पहल की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय की मणिपुर में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और बुनकरों के कौशल का उन्नयन करने के लिए एक संस्थान स्थापित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) मणिपुर के उन हथकरघा वस्त्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्रदान किए गए हैं और उनके पंजीकरण के वर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(ड़) क्या जीआई टैग पंजीकरण हेतु मणिपुर के किन्हीं अन्य हथकरघा वस्त्रों पर विचार किया जा रहा है, और यदि हां, तो आवेदन की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): चौथी अखिल भारतीय हथकरघा संगणना 2019-20 के अनुसार, मणिपुर राज्य में 2,11,327 महिला बुनकर हैं।

(ख): हथकरघा क्षेत्र में महिला बुनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु, वस्त्र मंत्रालय उनके व्यवसाय को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। है। मणिपुर सहित देश भर में महिला बुनकरों को प्रदान किए जाने वाले कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

- हथकरघा क्षेत्र की योजनाओं के तहत ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें महिला वर्ग के बुनकर शामिल हों।
- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्कशेड के निर्माण के लिए बीपीएल/एससी/एसटी/महिला/ट्रांसजेंडर/दिव्यांग बुनकरों को 100% सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- वर्ष 2016 से कमलादेवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार विशेष रूप से महिला बुनकरों के लिए शुरू किया गया है।

इसके अलावा, वस्त्र मंत्रालय देशभर में मणिपुर की महिला बुनकरों सहित हथकरघा को बढ़ावा देने और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए (i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और (ii) कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) जैसी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चा माल, उन्नत करघे एवं सहायक उपकरण की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड के निर्माण, कौशल, उत्पाद एवं डिजाइन विकास, तकनीकी एवं सामान्य अवसंरचना, मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): बुनकर सेवा केंद्र, इम्फाल मणिपुर में हथकरघा बुनकरों के कौशल उन्नयन के लिए कार्य कर रहा है।

(घ): मणिपुर राज्य के निम्नलिखित 3 हथकरघा उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत किया गया है:

क्र.सं.	**हथकरघा उत्पाद का नाम**	**पंजीकरण की तारीख**
1	शैफ़ी लैम्फी	31.03.2014
2	वांगखेई फी	31.03.2014
3	मोइरांग फी	31.03.2014

(ङ): इस अधिनियम के तहत पंजीकरण हेतु मणिपुर के तीन हथकरघा उत्पादों अर्थात मणिपुर लैशिंग फी, मणिपुर लीरम फी और मणिपुर तांगखुल हैंडलूम शॉल (चांगखोम, रायवत काचोन) की पहचान की गई है।

*****